

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व टिब्बी)

क्रमांक: रीडर/रास्ता/2024/ 1064

दिनांक:- 12/12/24

तहसीलदार (राजस्व)
टिब्बी।

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना
पत्र स0-159/2023 निर्णय दिनांक 29/11/24।

प्रकरण संख्या - 20/2019

अनवान :-

1. राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़


- प्रार्थीया

बनाम

1. मोहर सिंह पुत्र श्री रजीराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 20/2019 राजबाला बनाम मोहर सिंह आदि में निर्णय दिनांक 29/11/24 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो चक 4 आरपी के प0न0 176/357 मु0 28 किला न0 24, 25 में दक्षिण की तरफ से पूर्व से पश्चिम .013 प्रत्येक किला में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की एवज में स्वीकृत किए गए रास्ते के क्षेत्रफल के बराबर का हिस्सा अप्रार्थी के चिपती प्रार्थीया की खातेदारी भूमि चक 4 आरपी के प0न0 176/357 के किला न0 18 में .013 है0 व किला न0 23 में .013 हिस्सा रास्ता की जगह को छोड़ते हुए कम किया जाकर अप्रार्थी के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। स्वीकृत किए गये रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर मौके पर चालू करवाना सुनिश्चित करे।




(सत्यनारायण आर ए)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
टिब्बी